

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

लाभसिंह

बनाम

टैकसिंह आदि

किरम मुकदमा 88 , आर.टी.एक्ट. नम्बर 355 सन-2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
31.05.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 02.08.2019 को पेश हो।	
17 ⁶ / ₁₉	<p>वकील वादी व वकील खंड के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई वकील वादी व वादी के निवेदन किया की हम पत्रावली का खर्च नामा हो गया है इसलिये वकील अपना वह नहीं चलावा वहला है खर्चा करमाया जावे।</p> <p>वकील के दाश अपना वह नहीं चलावा के कारण वह वादी खर्चा किया जाय है पत्रावली चमर से ब्रम की जाकर दायित्व दण्तर है।</p> <p>आदेश वसई इजलास सुनाया गया।</p>	<p>लाभसिंह</p> <p>पदचक्र</p> <p>रिजिस्ट्रार</p> <p>र</p> <p>क</p>